रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली बुधवार, जनवरी 25, 1978/माघ 5, 1899
No 37] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 1978/MAGHA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

का० आ० 43(अ)/18एफबी/आई डी आर ए/78—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 72 (असा०)/18एफबी/आईडी आर ए/74 तारीख 29 जनवरी, 1974 द्वारा (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चखकी उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनका मैसर्स हिन्द साइकिल्स लिमिटेड (मुम्बई एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते हैं, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे,

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 28 जनवरी, 1978 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 2 जनवरी, 1979 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा देनी चाहिए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चखक की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 2 जनवरी, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फ० सं० 2/16/73-सी यू सी]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th January, 1978

S.O. 43(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 72(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order

(other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Hind Cycles Limited (Bombay unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto the 28th January, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 2nd January, 1979 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 2nd January, 1979.

[File No. 2/16/73-CUC]

आदेश

का० आ० 44(अ)/18 एफबी/आई डीआर ए/78.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 71 (अमा०)/18एफबी/आई डी आर ए/74, तारीख 29 जनवरी, 1974 द्वारा (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) को धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओ, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्रो, करारो, व्यवस्थापत्रो, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतो (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय सस्थाओ के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है), जिनका मैसर्स हिन्द साइकिल्स लिमिटेड (गाजियाबाद एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते है, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताए तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 28 जनवरी, 1978 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 2 जनवरी, 1979 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा देनी चाहिए;

अत, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 2 जनवरी, 1979 तक, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फ० सं० 2/16/73-सीयूसी]

ORDER

S. O. 44(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S. O. 71(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Hind Cycles Limited (Gaziabad unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto the 28th January, 1978 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 2nd January, 1979 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 2nd January, 1979.

[File No. 2/16/73-CUC]

आदेश

का० आ० 45 (अ) 15/आई०डी०आर०ए०/78—मेसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम का घुसुरी एकक (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त कारखाना कहा गया है) अनुसूचित उद्योगो, अर्थात भारी ट्रेलरों, विन्चो वाय मशीनरी के लिए पखों और बलोअरो, कन्क्रीट मिश्रकों तथा विभिन्न मशीनरी जैसे रोड रोलरो ट्रेलरो वायु शुष्कित्रों के फालतू पुर्जों और संघटकों में लगा है।

और केन्द्रीय सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त कारखाने मे विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन का, उसके प्रबन्धको द्वारा उक्त कारखाने के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप ठप हो गया है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए, कोई औचित्य नही है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त कारखाने के बन्द होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को सुधारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अनुसूचित उद्योगो में उत्पादन मे कमी न आए जो लोकहित के लिए उपायकर है, कुछ आवश्यक उपाय करना समीचीन है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले की परिस्थितियों का पूरा-पूरा और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियो का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होगे :

अध्यक्ष

श्री एस०सी० सरकार,

सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार,

बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, कलकत्ता।

सदस्य .

श्री ए० के० घोषाल,

औद्योगिक इंजीनियर,

बैस्टिंग हाउस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड,

17-कान्वेंट रोड, कलकत्ता।

श्री आर० एन० सिंह,
विकास अधिकारी,
डी०जी०टी०डी०, नई दिल्ली।

श्री के० के० रे,
प्रबन्धक,
इन्डस्ट्रियल रीकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड,
कलकत्ता।

2. उक्त निकाय, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर देगा।

[स० फा० 2/14/77-सी०यू०सी०]

जी० वी० रामकृष्णा, अपर सचिव

ORDER

S.O. 45(E)/15/IDRA/78.—Whereas the Ghusuri unit (hereinafter referred to as the said factory), belonging to the industrial undertaking known as Messrs. Marshall Sons and Company Limited, Howrah, is engaged in the scheduled industries, namely, heavy trailers, winches, fans and blowers for tea machinery, concrete mixers and spare parts and components of different machinery like road rollers, trailers, tea driers ;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the production of the articles manufactured in the said factory has come to a standstill consequent upon the closure of the said factory by the management, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said factory and to ensure that production in the said scheduled industries does not suffer to the detriment of the public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :—

Chairman

1. Shri S. C. Sarkar,
Secretary to the Government of West Bengal,
Closed and Sick Industries Department,
Calcutta.

Members

2. Shri A. K. Ghosal,
Industrial Engineer
Westinghouse Saxby Farmer Limited,
17, Convent Road,
Calcutta.

3. Shri R. N. Singh,
Development Officer,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.

4. Shri K. K. Ray,
Manager,
Industrial Reconstruction Corporation of India Limited,
Calcutta.

The said body shall submit its report to the Central Government within a period of 45 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[File No. 2/14/77-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978